

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 43
अप्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3094.00	3094.00	...	3079.57	3079.57	...	2742.80	2742.80	
पूँजी	...	290.00	290.00	...	173.00	173.00	...	264.20	264.20	
जोड़	...	3384.00	3384.00	...	3252.57	3252.57	...	3007.00	3007.00	
सीमा शुल्क										
1. सीमा शुल्क संग्रहण	2037	...	949.79	949.79	...	931.36	931.36	...	849.76	849.76
2. सीमा शुल्क पर अन्य व्यय										
2.01 सीमा शुल्क कल्याण निधि	2037	...	10.50	10.50	...	9.00	9.00
2.02 अन्य मदें	2037	...	1.20	1.20	...	1.30	1.30	...	1.40	1.40
	4047	...	220.20	220.20	...	159.20	159.20	...	121.20	121.20
	जोड़	...	221.40	221.40	...	160.50	160.50	...	122.60	122.60
जोड़-सीमा शुल्क पर अन्य व्यय		...	231.90	231.90	...	169.50	169.50	...	122.60	122.60
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क										
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संग्रहण	2038	...	1855.67	1855.67	...	1831.05	1831.05	...	1627.10	1627.10
4. बैंडरोल तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प तथा लेबलों का मुद्रण आदि	2038	...	0.02	0.02
5. अन्य व्यय										
5.01 निरीक्षण निदेशालय	2038	...	28.62	28.62	...	31.51	31.51	...	27.97	27.97
5.02 प्रणाली और डाटा प्रबंधन	2038	...	146.64	146.64	...	157.24	157.24	...	131.80	131.80
5.03 सतर्कता	2038	...	8.52	8.52	...	13.35	13.35	...	11.38	11.38
5.04 राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स अकादमी	2038	...	21.16	21.16	...	26.37	26.37	...	21.57	21.57
5.05 प्रचार और जनसम्पर्क निदेशालय	2038	...	24.68	24.68	...	24.64	24.64	...	26.29	26.29
5.06 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	...	32.35	32.35	...	31.21	31.21	...	27.56	27.56
5.07 अन्य	2038	...	8.35	8.35	...	14.54	14.54	...	11.97	11.97
जोड़-अन्य व्यय		...	270.32	270.32	...	298.86	298.86	...	258.54	258.54
6. अनुसंधान और मरम्मत	2216	...	6.50	6.50	...	8.00	8.00	...	6.00	6.00
7. सहायता सामग्री और उपकरण-सकल घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3606	...	0.50	0.50
निवल-सहायता सामग्री और उपकरण	3606	...	-0.50	-0.50
8. तैयार आवास की खरीद										
8.01 कार्यालय भवन	4059	...	50.00	50.00	...	12.00	12.00	...	132.00	132.00
8.02 रिहायशी भवन	4216	...	19.80	19.80	...	1.80	1.80	...	11.00	11.00
	जोड़	...	69.80	69.80	...	13.80	13.80	...	143.00	143.00
कुल जोड़		...	3384.00	3384.00	...	3252.57	3252.57	...	3007.00	3007.00

1. इसमें सीमा शुल्क स्कंध के स्थापना और अन्य व्यय के लिए और छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क चौकियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध द्वारा किए गए सीमा शुल्क संग्रहण के कार्य के लिए में उन्हें आनुपातिक प्रभारों की अदायगी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें अन्य विभागों को भुगतान के लिए 1.40 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसमें तस्कर-रोधी उपस्कर (कंटेनर स्कैनर) तथा समुद्री बेड़े की अधिप्राप्ति पर व्यय की पूर्ति हेतु 121.20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

3. यह प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण पर अन्य खर्चों सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध कुछ स्थानों पर, जैसे छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमा शुल्क संग्रह संबंधी

कार्य भी करता है जिसके लिए सीमा शुल्क स्कंध से आनुपातिक आधार पर प्रभार वसूल कर लिया जाता है।

4. इसमें मुख्यतः स्थापना और निरीक्षण, लेखापरीक्षा, प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रचार और जन-सम्पर्क निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, निपटान आयोग तथा अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण पर होने वाले अन्य व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

5. यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले रिहायशी भवनों के अनुसंधान और मरम्मत के लिए है।

6. इसमें सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के संबंध में तैयार कार्यालय भवनों तथा तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।